

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक 26 जून, 2008

संख्या-2/टी- 38 - /08-1089(2)/स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना, पटना जिले में
पैंच वर्षों से अधिक समय से पदस्थापित राज्य स्वास्थ्य सेवा के निम्नांकित चिकित्सा पदाधिकारी
को स्थानतरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख स्तंभ-5 में आंकित जिलों में तत्त्वाकालिक प्रभाव से
पदस्थापित किया जाता है:-

क्रमांक	चिकित्सा पदाधिकारी का नाम	गृह जिला	पदस्थापित जिला	नव पदस्थापन जिला
1	2	3	4	5
1.	डा० राजेन्द्र प्रसाद	प० बंगल	पटना	खगड़िया
2.	डा०(श्रीमती) नीलीमा कुमारी सिन्हा	भोजपुर	पटना	बरसर
3.	डा० महेश प्रसाद सिंह	भागलपुर	पटना	लखीसराय
4.	डा० रमेश चन्द्र झा	सहरसा	पटना	मध्यपुरा
5.	डा० (श्रीमती) नलिनी सिन्हा	दरभंगा	पटना	मधुबनी
6.	डा० शिवकुमार रावत	नालन्दा	पटना	वैशाली
7.	डा० उमेश प्रधान	कैमूर	पटना	बरसर
8.	डा० (श्रीमती) स्वेहलता कुमारी	नालन्दा	पटना	शेखपुरा
9.	डा० उमेश कुमार सिंह	रोहतास	पटना	औरंगाबाद
10.	डा० (श्रीमती) नौलम गुप्ता	गया	पटना	नालन्दा
11.	डा०(श्रीमती) किरण कुमारी	नालन्दा	पटना	जहानाबाद
12.	डा० विवेक रंजन कुमार	औरंगाबाद	पटना	ब्रह्म विभाग
13.	डा० अनिल कुमार सिन्हा	सीतान	पटना	वैशाली
14.	डा०(श्रीमती) मीरा बर्मा	प० चम्पारण	पटना	वैशाली
15.	डा०(श्रीमती) विभा राणी	वैशाली	पटना	मुजफ्फरपुर
16.	डा०(श्रीमती) सुधा कुमारी शर्मा	नालन्दा	पटना	नवादा
17.	डा० वालेश्वर प्रसाद सिंह	मधुबनी	पटना	दरभंगा
18.	डा० महेन्द्र कुमार सिंह	नालन्दा	पटना	नवादा
19.	डा० राम निवास प्रसाद	नालन्दा	पटना	मोजपुर
20.	डा० रामनारायण घारे	नालन्दा	पटना	गया
21.	डा० चंद्र भूषण कुमार	भागलपुर	पटना	कटिहार
22.	डा०(श्रीमती) वैदेही कुमारी	बेरुसराय	पटना	समस्तीपुर

1089(2)
26/6/08

23.	आ० अजीत कुमार	खगड़िया	पटना	भोजपुर
24.	आ० देवेन्द्र नाथ पाण्डेय	भोजपुर	पटना	बक्सर
25.	आ० विनोद कुमार चौधरी	पूर्णियाँ	पटना	खगड़िया
26.	आ० विरेन्द्र नारायण चौधे	रोहतास	पटना	बक्सर
27.	आ० विन्दु शेखर सिंह	सहरसा	पटना	पूर्णियाँ
28.	आ० किशोर कुमार दास	दरभंगा	पटना	सीतामढी
29.	आ० जगत प्रसाद	नालन्दा	पटना	बुनेर
30.	आ० प्रदीप कुमार	जहानाबाद	पटना	ओरंगाबाद
31.	आ० चन्द्रशेखर प्रसाद सिंह	सारण	पटना	गोपालगंज
32.	आ० विरेन्द्र कुमार गुप्ता	भोजपुर	पटना	रोहतास
33.	आ० विमल कुमार झा	मधुबनी	पटना	जहानाबाद
34.	आ० अमरेन्द्र कुमार चौधरी	सीतामढी	पटना	शिवहर
35.	आ० शैलेन्द्र कुमार	नालन्दा	पटना	ओरंगाबाद
36.	आ० विनेश कुमार सिन्हा	बक्सर	पटना	कैशूर
37.	आ० अशोक कुमार सिन्हा	पू० चम्पारण	पटना	प० चम्पारण
38.	आ०(श्रीमती) पुर्णिमा रत्न	पू० चम्पारण	पटना	प० चम्पारण
39.	आ० अरुण कुमार सिन्हा	खगड़िया	पटना	सहरसा
40.	आ० नन्द किशोर सिंह	समस्तीपुर	पटना	बेगुसराय
41.	आ० अशोक कुमार	जहानाबाद	पटना	गया
42.	आ० मिथिलेश कुमार सिन्हा	सहरसा	पटना	वैशाली
43.	आ० अशोक कुमार	दरभंगा	पटना	गया
44.	आ० सतेन्द्र कुमार सिन्हा	लखीसराय	पटना	पूर्णियाँ
45.	आ० इला मिश्रा		पटना	नालन्दा
46.	आ० सतेन्द्र प्रसाद सिंह	पटना	पटना	ओरंगाबाद
47.	आ० उदय शक्ति त्रिपाठी	रोहतास	पटना	बक्सर
48.	आ० अरं नाथ झा	दरभंगा	पटना	मधुबनी
49.	आ०(श्रीमती) मधु ज्योतिसना	दरभंगा	पटना	सीतामढी
50.	आ० मिथिलेश प्रसाद सिंह	रोहतास	पटना	ओरंगाबाद
51.	आ० सुरेश कुमार सिन्हा	मुजफ्फरपुर	पटना	सीतामढी
52.	आ० राजेश कुमार सिंह	ओरंगाबाद	पटना	नालन्दा
53.	आ० मिथिलेश कुमार सिंह	ओरंगाबाद	पटना	गया
54.	आ० राजेश्वर प्रसाद दास	गिरीड़िह	पटना	जमुई
55.	आ० श्रीप्रसाद	नालन्दा	पटना	भागलपुर
56.	आ० रामानुज सिंह	जहानाबाद	पटना	भोजपुर

1.185(2)

26/6/08

57.	डा० सुरेश प्रसाद सिन्हा	नालन्दा	पटना	गया
58.	डा० कुमार कातिकेय	समस्तीपुर	पटना	दरभंगा
59.	डा०(श्रीमती) सीमा गुप्ता	रॉची	पटना	नालन्दा
60.	डा० कृष्ण देव	नालन्दा	पटना	गया
61.	डा० कुमार महेन्द्र प्रताप	नालन्दा	पटना	आौरंगाबाद
62.	डा० सुरेश प्रसाद चौधरी	सहरसा	पटना	सुपील
63.	डा० गोपाल प्रसाद	पूर्णियाँ	पटना	अररिया

2. जिन चिकित्सा पदाधिकारियों की सेवाओं जिले को सौंपी गयी है उनका पदस्थापन उस जिला में प्रमण्डलीय आयुक्त की अध्यक्षता वाली समिति करेंगी ।

3. सभी स्थानान्तरित चिकित्सक अपने पदस्थापन से सम्बन्धित जिले में योगदान करेंगे । तत्पश्चात् असैनिक शल्य चिकित्सक—सह—मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी से जिले के अन्तर्गत पदस्थापन के स्थान की अधिसूचना प्राप्त करेंगे और अधिसूचित स्थान पर योगदान करेंगे । अगर चिकित्सक के नाम की रेप्लिंग गलत हो तो असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी रेप्लिंग सुधार हेतु मुख्यालय को पत्र लिखेंगे लेकिन सुधार के लिए प्रतीक्षा न कर अधिसूचित स्थान पर योगदान देने का निर्देश असैनिक शल्य चिकित्सक—सह—मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी अपने स्तर ही दें देंगे ।

4. निलम्बन/न्यायालय के अन्यथा आदेश की स्थिति से सम्बन्धित चिकित्सा पदाधिकारी पर यह आदेश लागू नहीं होगा ।

5. सभी संबंधित नियंत्री पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि स्थानान्तरित चिकित्सा पदाधिकारियों को शीघ्र स्थानान्तरित स्थान पर योगदान करने हेतु निश्चित रूप से विरमित कर देंगे ।

6. चूंकि इनका पदस्थापन अभ्यावेदन के आधार पर हो रहा है इसलिए यात्रा भत्ता नहीं देय होगा ।

7. संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्तों से अनुरोध होगा कि पदस्थापन के जिले के अन्तर्गत रिकितयों पर योग्यता एवं आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पदस्थापन करें ।

1089(2)
26/6/08

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(डा० श्रीमद् कुमार)
सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक -

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि - महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना / वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, पन्त भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि - अधीक्षक, राजकीय प्रेस, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि - सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / सभी क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्वारक्ष्य सेवाएँ / सभी संबंधित सिविल सर्जन / सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी / उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि - प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग / महानिरीक्षक अभियोजन, बिहार, पटना / सभी संबंधित विकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि - माननीय मंत्री, स्वास्थ्य/राज्य मंत्री के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के के सचिव / निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ के निजी सहायक / विभाग के सभी पदाधिकारी / उप सचिव के निजी सहायक / विभागीय प्रशास्त्रा पदाधिकारी, २/३/९ एवं कम्प्यूटर कोषांग को सूचनार्थ प्रेषित ।

1089(2)
26/6/08

सरकार के उप सचिव ।